

13.05 BRS.

PAPERS LAID ON THE TABLE

DETAILED DEMANDS FOR GRANTS FOR 1974-75, P.O. SAVINGS BANKS (AMDT.) RULES 1974, DELHI SALES TAX (3RD AMDT.) RULES, 1974 AND NOTIFICATIONS UNDER CUSTOMS ACT, 1962 AND CENTRAL EXCISE RULES, 1944

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : I beg to lay on the Table :

(1) A copy each of the Detail Demands for Grants (Hindi and English versions) of the following Ministries/Departments for 1974-75 :—

- (i) Ministry of Education and Social Welfare
- (ii) Ministry of External Affairs.
- (iii) Department of Culture.
- (iv) Department of Space.
- (v) Parliament, Department of Parliamentary Affairs, Secretariats of the President and Vice-President and Union Public Service Commission.

[Placed in Library. See No. LT-6573/74.]

(2) A copy of the Post Office Savings Banks (Amendments Rules 1974) (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 133(E) in Gazette of India dated 15th March, 1974, under subsection (3) of section 15 of the Government Savings Banks Act, 1973. [Placed in Library. See No. LT-6574/74.]

(3) A copy of the Delhi Sales Tax (Third Amendment) Rules, 1974 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.4(85)/71-Fin (G) in Delhi Gazette dated the 15th March, 1974, under subsection (4) of section 26 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as in force in the Union Territory of Delhi. [Placed in Library. See No. LT-6575/74.]

(4) A copy of Notification No. G.S.R. 142(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 23rd March, 1974, under section 159 of the Customs Act, 1962 together with an explanatory memorandum. [Placed in Library. See No. LT-6576/74.]

8 - 28LSS/74

(5) A copy of Notification No. G.S.R. 274 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 16th March, 1974, issued under the Central Excise Rules, 1944 together with an explanatory memorandum. [Placed in Library. See No. LT-6577/74.]

श्री मधु लियये (बांका) : अभी जो दस्तावेज मन्त्री महोदय के द्वारा रखे जा रहे हैं वे कस्टम तथा सैटल एक्साइज के बारे में हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि एक नोटिफिकेशन के द्वारा जो 23 मार्च को जारी किया गया इस सरकार ने जूट के सामानों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना और फिर से कायम करने का काम किया। इस के बारे में कई बार अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय दिया है कि जब कभी कर वृद्धि का मामला आ जाए तब उसकी घोषणा सदन में होनी चाहिए और जो भी नोटिफिकेशन निकले वह तत्काल सदन के सामने आना चाहिए। पिछली बार भी जब इन्होंने जूट के सामानों पर एक्सपोर्ट ड्यूटी या तो खत्म कर दी या उसको पटाया उस समय भी मैंने एतराज किया था कि यह मामला सदन के सामने नहीं आया और उस समय आदेश दिया गया था कि इस तरह की बात आगे होगी तो सदन उसको बरदाश्त नहीं करेगा।

विगत अगस्त महिने में जूट के सामानों पर जो ड्यूटी घटाई गई या समाप्त कर दी गई उसके लिए कोई केस नहीं था। कोई आधार नहीं था। केवल जूट इंडस्ट्री से पांच करोड़ रुपया वसूलने के लिए इन्होंने यह रियायत दे दी थी। आज य० पी० का चुनाव खत्म हो रहा है इसलिए यह नया नोटिफिकेशन ले कर ये आए हैं। इस नोटिफिकेशन में जो एक्सप्लेनेटरी नोट दिया गया है उसकी ओर मैं आपकी तबज्जह दिलाना चाहता हूँ। इस में यह कहा गया है :

"This notification seeks to enhance the rate of export duty on carpet backing by Rs. 450 per tonne and that of hessian by

[श्री मधु सिमरने]

Rs. 400 per tonne as well as to reimpose the export duty on sacking (cloth and bags) at the rate of Rs. 150 per tonne. This enhancement in the rate of export duty has been made in the context of present price trends and other relevant factors.

The additional revenue likely to accrue to the exchequer consequent on the revision of duties is estimated to be Rs. 18.55 crores in a year."

जूट के सामानों का दाम आज नहीं बढ़े साल से अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में बढ़ने लगा था और कोई सिंथेटिक सप्लायमेंट उस समय जूट का मकाबला नहीं कर रहा था। पहली बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि विगत साल एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों घटाई गई, क्यों समाप्त कर दी गई? इसलिए कि आपने जूट इंडस्ट्री से उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए पांच करोड़ रुपया लिया था? अगर मेरी यह बात झूठ आप साबित कर सकते हैं— कि जूट के सामानों के दाम बढ़े साल से अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में नहीं बढ़ रहे थे तो मैं इसके लिए जो भी आप सज्जा देंगे, उसके लिए तैयार हूँ।

आपका निर्णय मैं दो चीजों पर चाहता हूँ। क्या यह उचित था कि 23 तारीख को जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसको पॉलिया-मेंट को विश्वास में लिए बिना निकाला जाता और दूसरे 23 तारीख का नोटिफिकेशन आज इतने दिनों के बाद सदन के सामने क्यों आ रहा है? क्या वह भी इसलिए नहीं कि कल मैंने नोटिस दिया था और मन्त्रालय से भी जो बात की उसमें उनको पता चला कि हम लोगो ने गड़बड़ी की है और फिर उन्होंने लाइब्रेरी वालों को कहा कि कल एक नोटिफिकेशन सदन के सामने रखा जा रहा है? इस में औचित्य का भी मामला है, विलम्ब का भी मामला है और सबस्टैंटिव बात यह है कि जब एक्सपोर्ट ड्यूटी में रियायत दी गई, उसको घटाया

गया तो ऐसा करने का कोई आधार नहीं था? इसका खुलासा भी होना चाहिए।

SHRI K. R. GANESH : This is his view-point and he is entitled to hold that view. There is nothing new in that. But I must deny the allegation made by the hon. Member that Rs. 5 crores has been taken as a result of which there was this reduction and then increase in the rates. It is a motivated statement; that is all that I can say.

SHRI A. K. M. ISHAQUE (Basthat) : Malicious allegation.

SHRI K. R. GANESH : Coming to the other question, this notification was issued on the 23rd March under the relevant provisions of the Customs Act. According to the Lok Sabha procedure or conventions, the notifications of the Finance Ministry are placed on the Table on their question day, which happens to be today. After 23rd March which was a Saturday, this is the first Questions day on which, I am told, we normally place the Notifications on the Table of the House.

श्री मधु सिमरने : उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप को संतोष हो गया है? यह टैक्सेशन का मामला है। इसको मामूली नोटिफिकेशन और रूल के साथ न जोड़ा जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत लिचर दलील है कि जब फिनांस मिनिस्ट्री का दिन आयेगा, उस दिन नोटिफिकेशन रखा जायेगा। यह तर्क सदन के गले के नीचे नहीं उतर सकता है। मन्त्री महोदय किसी और दिन नोटिफिकेशन को सदन में रख सकते हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Well, both of you have said a number of things. They are on record. I will look into all these things. I cannot just say anything off-band about it. It is a question of Customs and Excise duties. I will have to examine it.

REVIEW & ANNUAL REPORT OF HANDICRAFTS AND HANDLOOMS EXPORTS CORPORATION OF INDIA FOR 1972-73

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE) : I beg to lay on the Table a copy of the following papers (Hindi